(2436)

## No. F.11011/2436/2019/के.वि.सं.(मुख्या.)(स्था.2) आरटीआई केन्द्रीय विद्यालय संगठन (स्थापना-2 अनुभाग)

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत सूचना देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः ID No-KENVS/R/2019/80207

सूचना के अधिकार अधिनयम-2005 के अन्तर्गत, SH. VENKATESH (आवेदक) ने अपने पत्र दिनांक: शून्य जो जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के द्वारा दिनांक 25.09.2019 को प्राप्त हुआ, के तहत निम्न सूचनाएं मांगी है जो कि इस प्रकार है:-

SL. No.	Information required	Reply
1	"I am Ch.Venkatesh and i am working in Kendriya Vidyalaya Sangathan as PGT- Chemistry.  At the time of Joining i have given a service bond for two years but before I Joined KVS, I have given a state government job exam and I informed to KVS authorities about this exam after joining KVS. Now I selected as Junior Lecturer in state government so resigned KVS by quoting DOPT notification NO. 28021/1/84-Estt(C) dated 14/11/1984 i.e if we move one govt service other government service the bond is not enforced but Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) authorities are saying that you need to pay the bond amount for accepting resignation.  Sir as a citizen of india I want to know weather the DOPT rules are applicable to Kendriya Vidyalaya Sangathan or not."	Dopt rules are applicable in Kendriya vidyalya Sangathan.

आवेदक कृपया भविष्य में यदि दुबारा सूचना मांगते हैं तो उपरोक्त आई.डी. संख्या की जानकारी अवश्य दें। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है, जिनका पता निम्नलिखित है-संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0), 18, संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीत सिंह मार्ग,नईदिल्ली -110016.

(विमलेश कुमार सिंह)

28/10/19

सहायक आयुक्त (स्था.) एव. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

SH. VENKATESH
S/O CH YADAIAH, VILLAGE KAGAZGHAT,
POST AGAPALLY, MANDAL MANCHAL
DISTT RANGA REDDY, TELANGANA - 501506

## प्रतिलिपि:-

जनसूचना प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ।

2. सहायक आयुक्त (स्था- 2 & 3) के निजी सहायक, के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को सूच

